


फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय बनाम मणिपाल यूनिवर्सिटी व अन्य
केस संख्या 131 /2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.10.2024	<p>सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय की पीठासीन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2022/6738 दिनांक 27.09.2024 प्रेषित कर उनके पति मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होने से उनके समक्ष विचाराधीन पत्रावली संख्या 136/2022 (संलग्न विविध प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022) व उनवानी मणिपाल यूनिवर्सिटी बनाम श्रीमती गीता देवी व अन्य को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया।</p> <p>सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रार्थी मणिपाल यूनिवर्सिटी का प्रकरण वाद बाबत घोषणा, निष्कासन व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (ए) अवमानना का विचाराधीन है और पीठासीन अधिकारी के पति मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय व उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो</p> <p>निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p> (डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर</p>	